न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1247/2026

(CNR No. UPET010042492026)

विनय उम्र 21 वर्ष पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी सिंहपुरलोया, थाना बागवाला, जिला एटा।

----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–35/2025
धारा–333,74,115(2),351(2),75, 76 बी०एन०एस०
थाना–बागवाला, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **विनय** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–35/2025 अन्तर्गत धारा–333,74,115(2),351(2),75,76, थाना **बागवाला**, जिला **एटा** के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

सम्बन्धित आरोप–पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली आहूत की गयी, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उसकी उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत किये गये हैं।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Srikant Upadhyay and Others vs. State of Bihar and Another** के सुसंगत अंश का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:–

a very pertinent observations have been made with regard to the powers of the Court to grant anticipatory bail under Section 438 of CrPC. It has been observed that -"9. It is thus obvious from the catena of decisions dealing with bail that even while clarifying that arrest should be the last option and it should be restricted to cases where arrest is imperative in the facts and circumstances of a case, the consistent view is that the grant of anticipatory bail shall be restricted to exceptional circumstances. In other words, the position is that the power to grant anticipatory bail under Section 438, Cr. PC is an exceptional power and should be exercised only in exceptional cases and not as a matter of course.

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय *श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य* की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि–सिद्धान्त सत्र न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर समान रूप से बाध्यकारी एवं प्रभावी हैं।

स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना प्रकारान्तर से सम्बन्धित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण की श्रेणी में माना जायेगा, जो न्यायोचित नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त के अनुक्रम में आवेदक/अभियुक्त **विनय** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।